

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय, इन्दौर, म.प्र.

क्र./ ४५७२/एस.पी./आउट-७४/१९/नग्रानि/२०१९.
प्रति,

इन्दौर, दिनांक ०७/०८/१९

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
कनाडिया जिला इन्दौर (म.प्र.)

- विषय : ग्राम हिंगोनिया, तहसील व जिला इन्दौर के सर्वे क्रमांक 310/1, 310/2, 310/4/2, 311/1/1/1, 311/1/1/2, 311/1/2, 311/2/2, 311/2/1, 311/2/3, 311/4/2, 311/2/4, 310/3, 311/3, 310/4/1, 311/4/1, 312 पैकि, 313/3/4पैकि, 318 एवं 319 कुल रकवा 3.589 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय भूखण्डीय विकास प्रयोजन हेतु अभिमत बाबद।
- संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक 401 दिनांक 16/05/2019 एवं आवेदक का आवेदन इस कार्यालय में आवक क्रमांक 74 दिनांक 25/05/2019.

कॉलोनी का नाम— “ ”

उपरोक्त विषयात्तर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में आवेदक श्रीमति नहेसिंह पति श्री अभिमन्तु सिंह निवासी—गढ़ा हाउस, कनाडिया, तहसील व जिला इन्दौर (म.प्र.) द्वारा ग्राम हिंगोनिया, तहसील व जिला इन्दौर के सर्वे क्रमांक 310/1, 310/2, 310/4/2, 311/1/1/1, 311/1/1/2, 311/1/2, 311/2/2, 311/2/1, 311/2/3, 311/4/2, 311/2/4, 310/3, 311/3, 310/4/1, 311/4/1, 312 पैकि, 313/3/4पैकि, 318 एवं 319 कुल रकवा 3.589 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय भूखण्डीय विकास प्रयोजन हेतु अभिमत बाबद आपके संदर्भित पत्र द्वारा प्रकरण प्राप्त हुआ है। प्रकरण में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं :-

- खसरा बटांकन मानचित्र, पटवारी नक्शा प्रमाणित प्रतिलिपि।
- खसरा बी—१, पी—२ वर्ष 2018—2019।
- क्षतिपूर्ति पत्र।
- शपथ पत्र।
- मानचित्र (अभिन्यास)।

उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर भू—स्वामी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में स्थल का निरीक्षण किया गया है, जिसमें स्थल रिक्त होना पाया गया है। प्रश्नाधीन स्थल को उत्तर दिशा में कनाडिया से ग्राम सेमल्याचाउ को जाने वाले प्रस्तावित 45.0 मीटर चौड़े मार्ग से पहुंच उपलब्ध है।

आवेदित स्थल म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अन्तर्गत गठित निवेश क्षेत्र अन्तर्गत नहीं आता है तथा वर्तमान में भूमि उपयोग का निर्धारण नहीं हुआ है। ग्राम हिंगोनिया, तहसील व जिला इन्दौर के सर्वे क्रमांक 310/1, 310/2, 310/4/2, 311/1/1/1, 311/1/1/2, 311/1/2, 311/2/2, 311/2/1, 311/2/3, 311/4/2, 311/2/4, 310/3, 311/3, 310/4/1, 311/4/1, 312 पैकि, 313/3/4पैकि, 318 एवं 319 कुल रकवा 3.589 हेक्टेयर भूमिपर आवासीय भूखण्डीय विकास प्रयोजन हेतु निम्न शर्तों के साथ अभिमत दिया जाता है :-

- निम्नलिखित अधिनियम/नियम/सक्षम अधिकारियों तथा संस्था से अभिमत/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा :-

अ. म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959

ब. म.प्र. ग्राम पंचायत (कॉलोनीयों का विकास) नियम, 2014

स. अन्य किसी नियमों/अधिनियमों के अन्तर्गत कोई अभिमत/अनुज्ञा अनिवार्य हो तो उसे आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावें।

अविरत....2

दूसरी गो अधिकार
कार्यालय की
पृष्ठा दोनों तरफ
संगत रखा गया है।

2. प्रश्नाधीन भूमि के उत्तर दिशा में मार्ग की प्रतावित तौड़ाई 45.0 मीटर रखते हुए मार्ग मध्य से 22.50 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु खुली छोड़ी जाना आवश्यक होगा। जिस पर किसी भी प्रकार का विकास/निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा तथा शाराकीय गृणि पर भी किसी भी प्रकार का विकास/निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।
 3. प्रश्नाधीन प्रकरण ग्राम पंचायत रीगा क्षेत्र अन्तर्गत कॉलोनी विकास हेतु म.प्र. ग्राम पंचायत (कॉलोनीयों के विकास) नियम 2014 प्राप्ताशीत है। उक्त नियमों में दिनांक 24/12/2014 को हुए संशोधन अनुसार आर्थिक रूप से कमज़ोर आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग समूहों के लिये भूखण्डों का प्रावधान उक्त नियमों के नियम 11 के अनुसार विक्रय योग्य क्षेत्र का 6 प्रतिशत (आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों तथा निम्न आय समूहों के लिए (प्रत्येक के लिये 3 प्रतिशत)) आरक्षित किया जाना आवश्यक होगा। आवेदक ने म.प्र. ग्राम पंचायत (कॉलोनीयों का विकास) नियम 2014 के नियमों अनुसार प्रश्नाधीन भूमि पर आर्थिक रूप से कमज़ोर आयवर्ग के लिये 14 तथा नियम 2014 के नियमों अनुसार प्रश्नाधीन भूमि पर आर्थिक रूप से कमज़ोर आयवर्ग के लिये समूहों के लिये 11 विहित आकार के भूखण्डों का प्रावधान किया गया है, जिसका विवरण आयवर्ग समूहों के लिये 11 विहित आकार के भूखण्डों का प्रावधान किया गया है। यदि सक्षम प्राधिकारी आवेदक द्वारा प्रस्तावित प्रावधानों से सहमत न हो, तो उनके बताये अनुसार अभिन्यास में आवश्यक संशोधन किया जाना आवश्यक होगा।
 4. सक्षम प्राधिकारी द्वारा विकास अभियान जारी करने के पूर्व भूमि स्वामी से म.प्र. ग्राम पंचायत (कॉलोनीयों का विकास) नियम, 2014 के अन्तर्गत कॉलोनाइजर के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अथवा कॉलोनाइजर के रूप में रजिस्ट्रीकृत विकासकर्ता से पंजीकृत विकास अनुबंध प्राप्त करने के पश्चात् ही विकास अनुमति जारी की जावें।
 5. संलग्न मानचित्र को भू-स्वामित्व का दस्तावेज नहीं समझा जावे।
 6. विषयांकित भूमि के प्रस्तावित अभिन्यास के आस-पास लगी हुई भूमियों पर निर्मित/अनुमोदित मार्ग, प्रस्तावित मार्ग, भूखण्डों, खुले क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों की निरंतरता का समायोजन किया जावें।
- स्थल पर विद्यमान वृक्षों को सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है, यदि इन्हें काटना आवश्यक हो तो इसकी अनुमति विधिवत सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की जाना आवश्यक होगी।
7. संलग्न मानचित्र के आधार पर कॉलोनी के आंतरिक विकास कार्य का प्राक्कलन आवेदक/ भू-स्वामी को सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से स्वीकृत करवाकर विकास कार्य उनकी देख-रेख में करना होगा।
 8. मार्ग विस्तार के अन्तर्गत आने वाली भूमि का कब्जा बिना मुआवजा के स्थानीय निकाय/कलेक्टर कार्यालय अथवा मार्ग विकास की क्रियान्वयन संस्था को सौंपना होगा।
 9. 140 वर्गमीटर से बड़े भूखण्डों में निर्मित होने वाले भवनों को शहरी जल प्रदाय प्रणाली हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया अपनानी होगी। इसके पश्चात् ही भूखण्ड पर जल विद्युत कनेक्शन संबंधित संस्थाओं द्वारा किया जावेगा।

लॉनोनी अधिकारी
लॉनोनी नॉनी ई
शास्ति रखावैश्वी

अविरत.....3

11. भारत सरकार के बन एवं पर्यावरण प्रकाश द्वारा जली जलीमुग्ना दिनांक 14.09.2006 कमा संगोष्ठी अधिगृहण दिनांक 01.09.2009 की अनुसारी की ३२५८१ (क) के अनुसार 20,000 तारीफार वा अधिक किंतु 15,00,000 लार्पीट्टर में कम खड़ा एवं निर्गंगा परिवोकासी ने ताता ८ (ख) में अनुसार 50 हेक्टेएक्ट द्वेष का समाने अधिक और का १ वाताका तारीफार वा ताता अधिक निर्मित होने के बजाए और छेत्र दिक्कत में पूर्व नार्मदानीय ग्रीकृति नी जाना अविवाही है। यह गांवान आपासा एवं पर्यावरणीय विधान के द्वायक रूपांक १५ & २१/११/३३ गोपन दिनांक १५.अक्टूबर. २००५ में उत्तरीखिं अनुसार अस्ति स्तरकार नार्मदानी एवं वा पर्यावरण ग्रीकृति नी अधिगृहण व्यवाक्त ८५८० ८०१ (दि) दिव्यक ; अनुसार २००५ के विधेय में पार्वती (संस्थान) अधिगृहण १०५६ के पार्वती के दशरो ये आवृत्ति है तो इकाई एकान को/सरकार अद्वेदक संस्था को विधानमुग्ना ही एएस/ ही आद्वेदक के तहा स्वतंत्र प्रतिक्रिया व्यवहार एवं उन मंत्रालय, भारत सरकार अग्रान अनुसार उत्तरी लेव्व एंव्रोव्वेल्व इम्प्रेस्चर्स अड्डोरो (LEED-VA) से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के एवराम ही परियोजना से जुड़े किसी भी निर्माण कार्य को जरूर करना आवश्यक व अनिवार्य होगा। जैवना पर्यावरण संस्थान अधिनियम के अन्तर्गत अवश्यक इन्वायरमेंट इम्प्रेक्ट्स असेसमेंट की व्यवस्थाही सुनिश्चित की जात तथा भवन अनुद्वा के पूर्व प्रृथ्वी एवं दूषण नियंत्रण मण्डल से जत एवं वायु सम्पत्ति अवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे तथा निर्माण के पूर्व ईआरए क्लीयरेंस तेना भी अनिवार्य होगा। पर्यावरण संस्थान अधिनियम संबंधी समस्त एकदानों का पूर्ण पालन करना आवश्यक होगा।
 12. इस अभियान के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु भूमि परिवर्तन अधवा किसी भी प्रकार से भूमि का उप विभाजन याच्य नहीं होगा।
 13. नियमानुसार कॉलोनी का विकास कार्य राम्यन होने के पश्चात भूखण्डों पर भवन के आंतरिक प्रस्ताव संबंधित ग्राम पंचायत रो स्वीकृत कराने के उपरात ही भूखण्ड पर विकास/निर्माण किया जा सकेगा। भवन का नियमीय भूकम्परोधी तकनीकी के अनुसार किया जाना होगा।
 14. प्रश्नाधीन भूमि पर विकास होने वाले भूखण्डो/भवन के विकास के संबंधी इश्ताहार प्रकाशन में नगर तथा ग्राम निवेदा अधिगृहण, राजनीय निकायों, डायवर्सन, नजूल अनापत्ति, गरयन लेण्ड सिलिंग से छुट, प.प्र. प्रदुषण निवारण गण्डलो रो अनापत्ति संबंधी आदेशों के क्रमांक एवं दिनांको का उत्तोला करना अनिवार्य होगा।
 15. किसी भी प्रकार का ठोस अपशिष्ट, परिसर के आसपास भूमि पर फेंकना/फैलाना प्रतिबंधित रहेगा।
 16. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81(4) के प्रावधानों के अनुसार निर्मित होने वाले भवनों में रहनी जल प्रदाय प्रणाली रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया अपनानी होगी। इसके पश्चात ही भूखण्ड पर जल विद्युत कनेक्शन संबंधी संस्थाओं के द्वारा किया जा सकेगा।
 17. इस अभियान का उपयोग किसी प्रकार के ब्रह्म प्राप्त करने हेतु तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक की आदेदक भूमि व्यपर्वतन तथा म.प्र. ग्राम पंचायत (कॉलोनीयों का विकास) नियम, 2014 के अन्तर्गत अनुमतियों प्राप्त नहीं कर लेता।
 18. घायनेस एक्ट 1994 के प्रावधानों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
 19. म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 50(ख) के प्रावधानों अनुसार यदि प्रश्नाधीन भूमि जल विकास/जल स्त्रोत के ऊच्चतम जल स्तर से 9.0 मीटर और नदी के मामले में 30.0 मीटर दूरी तक निर्माण कार्य करना प्रतिबंधित होगा।

३५४

ग्रन्थालय

Digitized by srujanika@gmail.com

20. विषयांकित भूमि पर शासन के आदेश अनुसार आवेदक द्वारा चयनित कॉलोनी का नाम _____ के आधार पर जारी की जा रही है। कॉलोनी के नाम में किसी भी प्रकार का संशोधन होने की दशा में धारा 29(3) के तहत संशोधन करना आवश्यक होगा।
21. यह अभिमत अहस्तांतरणीय होगी तथा अधिमान्य उपयोग के अतिरिक्त अन्य उपयोग मान्य नहीं होंगे।
22. मार्ग एवं खुले स्थानों हेतु छोड़ी गई म.प्र. ग्राम पंचायत (कॉलोनीयों का विकास) नियम, 2014 के अन्तर्गत कार्यवाही पूर्ण होने पर ही भूखण्ड विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जावें।
23. संलग्न मालचित्र में दर्शित चतुर्सीमाओं का सीमांकन पश्चात् मानचित्र में कोई परिवर्तन होता है, तो सीमांकित अभिन्यास इस कार्यालय से अभिमत प्राप्त करना आवश्यक होगा।
24. किसी भी प्रकार के भू-स्वामित्व अथवा सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होने या उपलब्ध कराई गई जानकारी असत्य पाए जाने पर या इस अनुज्ञा शर्तों के उलंघन की दशा में यह अनुज्ञा स्वतः प्रभावशून्य होकर म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 25 के तहत प्रतिसंहत (रिहोक) कर दी जावेगी।

संलग्न- मानचित्र।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
इन्दौर (म.प्र.)

५५७३-५५८०

पृ. क्र./ एस.पी./आउट-74/19/नग्रानि/2019.

इन्दौर, दिनांक ०७/०८/१९

प्रतीलिपि :-

1. सक्षम प्राधिकारी एवं कलेक्टर जिला इन्दौर की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर कलेक्टर (कॉलोनी सेल) जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. आवेदक— श्रीमति नहेसिंह पति श्री. अभिमन्यु सिंह निवासी—गढा हाउस, कनाडिया, तहसील व जिला इन्दौर (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद सीमा शुल्क एवं सेवाकर, माणिकबाग पैलेस, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. सरपंच, ग्राम पंचायत हिंगोरिया, तहसील व जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. तहसीलदार, तहसील संचालक जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. उप-पंजीयक, पंजीयन कार्यालय, तहसील व जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ।

संलग्न- मानचित्र।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
इन्दौर (म.प्र.)

राज्य संसद के अधीन
नगर तथा ग्राम निवेश
कार्यालय
इन्दौर (म.प्र.)

LOCATION PLAN



SAMRADDHI GREEN

KHASRA PLAN



PROPOSED LAY OUT PLAN OF A RESIDENTIAL COLONY ON
LAND KHASRA NO. 3101, 3102, 3104/2, 311/1/1, 311/1/2,
311/1/3, 311/2/2, 311/2/1, 311/2/3, 311/2/4, 310/3, 311/3,
310/4, 311/4, 311/2 (P), 311/3/4 (P), 318 & 319 AT VILLAGE
HINGONIYA TEHSIL & DISTRICT INDORE.

LAND OWNERS:

SMT. NEHA SINGH W/O SHRI ABHIMANYU SINGH

STATEMENT OF AREA


| | | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| TOTAL LAND AREA | 5.68 HECT. | 36800.00 sq.mt. |
| AVAILABLE LAND ON SITE | 35490.00 sq.mt. | |
| AREA UNDER 14.10 M. WIDE ROAD | 3078.00 sq.mt. | |
| NET PLANNING AREA | 32414.00 sq.mt. | 100.00 % |
| GENERAL PLOT AREA | 18452.80 sq.mt. | 56.78 % |
| LOCAL SHOP/BAZAAR AREA | 309.00 sq.mt. | 1.14 % |
| E.W.S.PLOT AREA | 537.74 sq.mt. | 1.66 % |
| L.I.G.PLOT AREA | 537.48 sq.mt. | 1.66 % |
| STRUCTURE AREA | 260.09 sq.mt. | 0.77 % |
| PARK/PLAY AREA | 3289.00 sq.mt. | 10.13 % |
| ROAD AREA | 10985.00 sq.mt. | 33.49 % |

CALCULATION FOR E.W.S.P.L.G. PLOT AREA:

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| NET AVAILABLE AREA | 18452.80 X 36800.00 = 67897.00 sq.mt. |
| E.W.S.PLOT AREA | 67897.00 X 3 % = 2036.91 sq.mt. |
| PROVIDE E.W.S.PLOT AREA | 537.74 sq.mt. |
| E.W.S.PLOT NO.1 TO EVA | 14 HOS X 360 X 10.87 = 537.74 |
| L.I.G.PLOT AREA | 67897.00 X 3 % = 2036.91 sq.mt. |
| PROVIDE L.I.G.PLOT AREA | 537.48 sq.mt. |
| L.I.G.PLOT NO.1 TO LIT | 14 HOS X 358 X 10.87 = 537.48 |

STATEMENT OF LAND AREA

| SL.NO | NAME OF LAND OWNER | KHASRA NO | AREA |
|-------|--|-----------|-------------|
| (1) | SMT. NEHA SINGH W/O SHRI ABHIMANYU SINGH | 3101 | 0.113 HECT. |
| | | 3102 | 0.113 HECT. |
| | | 3104/2 | 0.060 HECT. |
| | | 311/1/1/1 | 0.181 HECT. |
| | | 311/1/1/2 | 0.181 HECT. |
| | | 311/1/2 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/2 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/1 | 0.068 HECT. |
| | | 311/2/3 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/5 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/6 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/7 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/8 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/9 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/10 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/11 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/12 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/13 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/14 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/15 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/16 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/17 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/18 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/19 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/20 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/21 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/22 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/23 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/24 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/25 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/26 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/27 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/28 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/29 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/30 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/31 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/32 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/33 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/34 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/35 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/36 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/37 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/38 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/39 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/40 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/41 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/42 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/43 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/44 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/45 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/46 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/47 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/48 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/49 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/50 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/51 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/52 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/53 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/54 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/55 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/56 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/57 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/58 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/59 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/60 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/61 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/62 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/63 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/64 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/65 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/66 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/67 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/68 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/69 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/70 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/71 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/72 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/73 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/74 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/75 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/76 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/77 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/78 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/79 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/80 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/81 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/82 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/83 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/84 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/85 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/86 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/87 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/88 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/89 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/90 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/91 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/92 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/93 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/94 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/95 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/96 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/97 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/98 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/99 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/100 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/101 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/102 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/103 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/104 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/105 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/106 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/107 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/108 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/109 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/110 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/111 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/112 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/113 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/114 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/115 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/116 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/117 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/118 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/119 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/120 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/121 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/122 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/123 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/124 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/125 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/126 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/127 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/128 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/129 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/130 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/131 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/132 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/133 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/134 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/135 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/136 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/137 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/138 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/139 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/140 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/141 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/142 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/143 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/144 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/145 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/146 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/147 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/148 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/149 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/150 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/151 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/152 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/153 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/154 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/155 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/156 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/157 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/158 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/159 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/160 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/161 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/162 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/163 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/164 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/165 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/166 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/167 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/168 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/169 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/170 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/171 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/172 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/173 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/174 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/175 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/176 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/177 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/178 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/179 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/180 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/181 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/182 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/183 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/184 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/185 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/186 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/187 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/188 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/189 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/190 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/191 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/192 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/193 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/194 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/195 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/196 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/197 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/198 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/199 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/200 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/201 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/202 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/203 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/204 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/205 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/206 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/207 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/208 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/209 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/210 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/211 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/212 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/213 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/214 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/215 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/216 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/217 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/218 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/219 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/220 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/221 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/222 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/223 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/224 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/225 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/226 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/227 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/228 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/229 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/230 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/231 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/232 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/233 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/234 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/235 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/236 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/237 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/238 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/239 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/240 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/241 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/242 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/243 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/244 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/245 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/246 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/247 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/248 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/249 | 0.181 HECT. |
| | | 311/2/250 | 0.181 HECT. |
| | | 311 | |



(3)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजरव) कर्तव्या जिला इंदौर //

11 / 3-2/2019-20

आवेदक - श्रीमती नेहा पति श्री उमण्डूसिंह
निवासी - गढ़ा हाउस कनाडिया रोड इंदौर

// आदेश //

(पारित आदेश दिनांक 31/8/19)

आवेदक श्रीमती नेहा पति श्री उमण्डूसिंह निवासी - गढ़ा हाउस कनाडिया रोड, इंदौर द्वारा याम रिथ्त भूमि सर्व नम्बर 310/1 310/2 310/3 310/4/1 310/4/2 311/1/1 311/1/2 311/1/2 311/2/1 311/2/2 311/2/3 311/3/2 311/3/3 311/4/1 311/4/2 312 वार्ष 313/3/4 वार्ष 318 वार्ष 319 रक्खा कमश 1130 1130 300 1130 800 1510 1520 3040 680 1810 1810 1810 6110 1130 4980 5400 150 530 890 वर्ग मीटर कुल रक्खा 35890 वर्ग मीटर मूले 53835 रुपये देवता चालान के लिए पुनर्निधारण हुए आदेश पत्र पेश किया आवेदक पत्र के गाँव आवेदक द्वारा आदेश पत्र के साथ खसरै-बी-1 की नक्त एवं नगर तथा याम निवेश द्वारा जारी भूमि उपयोग प्रमाण पत्र एवं प्रति लक्ष तारेज की छाप्रति प्रतरुत की है तथा भू-राजरव राशि रुपये 17945/- देवता चालान न 00293095 दिनांक 14.08.2019 श्रीमियम राशि रुपये 53835/- देवता चालान न 00293093 दिनांक 14.08.2019 याम याम राशि रुपये 8973/- देवता चालान न 00293098 दिनांक 14.08.2019 द्वारा जमा कर चालान की प्रति

प्रकरण ने नवायित क्षेत्र के राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन लिया गया। राजरव निरीक्षक के प्रतिवेदन अनुसार याम हिनोमिया रिथ्त भूमि सर्व नम्बर 310/1 310/2 310/3 310/4/1 310/4/2 311/1/1 311/1/2 311/1/2 311/2/1 311/2/2 311/2/3 311/2/4 311/3/1 311/4/1 311/4/2 312 वार्ष 313/3/4 वार्ष 318 वार्ष 319 रक्खा कमश 1130 1130 300 1130 800 3040 680 1810 1810 1810 6110 1130 4980 5400 150 530 890 वर्ग मीटर कुल रक्खा 35890 वर्ग मीटर के परामर्शदाता द्वारा परामर्शदाता के लिए पुनर्निधारण हुए भू-राजरव 050/- प्रति वर्ग मीटर के दर से राशि 17945/- एवं प्रीमियम की राशि 15/- भूमि वीटर की दर से राशि रुपये 53835/- एवं प्राप्त राशि रुपये 8973/- जमा कराइ जाना है।

प्रकरण ने प्रतरुत दरतावेजों का एवं राजस्व 1220/- के वापोहेटन के अवतोकन किया गया। वीटा-राजरव द्वारा प्रतरुत आदेश पत्र त्रीकार किया जा कर याम हिनोमिया रिथ्त भूमि सर्व नम्बर 310/1 310/2 310/3 310/4/1 310/4/2 311/1/1 311/1/2 311/2/1 311/2/2 311/2/3 311/2/4 311/3/1 311/4/1 311/4/2 312 वार्ष 313/3/4 वार्ष 318 रक्खा कमश 1130 1130 300 1130 800 150 530 890 वर्ग मीटर कुल रक्खा 35890 वर्ग मीटर के लिए पुनर्निधारण करते हुए आदेश पत्र भूमि राशि रुपये 17945/- एवं राशि रुपये 53835/- एवं प्राप्त उपरात ताजे 433/- दर्य 2019-20 ते मालूम भूमिया राशि 53835/- एवं प्राप्त उपरात ताजे 55 अंतर्गत अधिरायित किया जाता है।

8/8/2019



आवेदक द्वारा आवेदित भूमि का उपयोग केवल उक्त आदेश मे दिए गए प्रयोजन हेतु किया जा सकेगा एवं उक्त भूमि का विभासन बिना अनुमति के नहीं किया जा सकेगा ।

2 आवेदक द्वारा जिस प्रयोजन के लिए भूमि व्यपवर्तित कराई गई है। उसी प्रयोजन के लिए उपयोग करेगा। अन्यथा यह आदेश निररत माना जायेगा।

3 आवेदक को प्रतिवर्ष परिवर्तित भू-रजस्य की राशि जमा कराना होगी।

4 गृ-ख्यामी रजस्य रखधी कोई विवाद होने पर या गत जानकारी पाये जाने पर व्यपवर्तन की खोकृती निररत की जा सकेगी।

5 यदि आवेदक को इस अनुज्ञा के अतिरिक्त किसी भी शासकीय/अर्धशासकीय विभागों/संस्थानों से प्राप्त करना आवश्यक हो तो वह भी प्राप्त करना होगी।

6 आवेदक द्वारा भवन निर्माण की अनुमति नगर निगम इंदौर से प्राप्त करना होगी उसके बाद ही मौके पर विकास/निर्माण कार्य किया जावेगा।

7 आवेदक द्वारा प्रस्तावित उपयोग से जनहित में किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न नहीं हो सकता व्यवरथा रखण को करना होगी।

8 आवेदक द्वारा प्रशंसनार्थी भूमि पर जल पात्र निकासी विद्युत व्यवरथा रखण अपने व्यय से ही करना होगी।

9 यदि आवेदक द्वारा आवेदित प्रयोजन के अलावा अन्य उपयोग किया जाता है तो विधिवत सभी अनुज्ञा प्राप्त करना होगी उसके बाद ही मौके पर विकास/निर्माण कार्य किया जावेगा।

10 आवेदक द्वारा इंदौर विकास प्राधिकारी इंदौर से प्राप्त अनापत्ति पत्र मे अंकित रामी शर्तों का अक्षरण पालन किया जाना अनिवार्य होगा। प्राधिकारी की योजना मे सम्मिलित भूमि पर किसी भी प्रकार से विकास/निर्माण नहीं किया जा सकेगा। भू-खण्ड को भाग मे विभक्त नहीं किया जावेगा।

11 आवेदक द्वारा आवेदित भूमि के सभी प्राधिकारी/आवादी/प्राधिकारी की योजना की भूमि हो तो उस पर किसी प्रकार से विकास/निर्माण नहीं किया जा सकेगा। यदि किया जाता है तो उपरोक्त व्यपवर्तन की अनुज्ञा रखेवे निररत मानी जायेगी।

12 आवेदक द्वारा मौके पर विकास/निर्माण के पूर्व रजत्र निरीक्षक/पटवारी से सीमाकरण लिया जाना अनिवार्य होगा। यदि सभी प्राधिकारी की भूमि हो तो प्राधिकारी कार्यालय से समन्वय कर सीमाकरण कराना होगा उसके बाद ही विकास/निर्माण किया जा सकेगा।

13 आवेदक द्वारा आवेदित भूमि पर निर्मित कंत्र के अंतरिक्ष खुली भूमि पर स्थान निरापण लगाना होगा।

उपरोक्त उपरोक्त शर्तों मे से किसी भी शर्त का नियन्त्रण होने पर यह आदेश निररत नहीं जावेगा। बाद प्रकरण मे नियामानुसार कार्यालय की जायेगी। आदेश खुले व्यापालय मे घोषित किया गया।

*अनुविभागीय विभागीय (कृजन्ता)
अनुविभागीय विभागीय (कृजन्ता)
कर्तव्य इन्हें जिला-इंदौर
कर्तव्य इन्हें जिला-इंदौर*


काल्पनिक 65 / रीएसडीओ / 2019


इदौर.दिनांक 31/8/19

प्रतिलिपि

- प्रभारी अधिकारी (भूमि परिवर्तन - कम्प्यूटर शाखा) इदौर की ओर उक्त आदेश 3 दिवस में अमल दरामद कर प्रतिवेदन भिजवाये ।
- तहसीलदार कनाडिया जिला - इदौर की ओर गंजवार लेख है कि उक्त आदेश का कलन संजाक चक्काहे ए कराया जाकर पालन प्रतिवेदन 3 दिवस में भिजवाये ।
- अधीक्षक भूमि परिवर्तन/सद्विधित राजरन निरीक्षक की ओर थी-१ में आदेश अमल दरामद कर पालन प्रतिवेदन 3 दिवस में भेजने हेतु ।
- आकेढ़क अधीक्षक नेहा पति श्री अभिनन्दूसिंह निवासी-गढ़ा हाउस कनाडिया रोड, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एव पालनार्थ ।

अनुविष्टारी अधिकारी (काल्पनिक)
ठाकुराडिया निवास-इन्दौर





काल्पनिक कलेक्टर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

卷之三

१३ / अक्टूबर / 2020

कुर्दान 12.11.1924/8/20

प्राक्तं प-५

(नियम 9 (7) हेतु)

कालोनी विकास की अनुमति

प्र० का ०४, ३१-७४/२०२०-२१

मध्यपद्धति परामर्शदाता राज एवं ग्राम स्वसंज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) के अन्तर्गत एवं व्यवस्थापन एवं पौर्ण पर्याप्तता (कालांकियों का विकास) नियम 2014 के अन्तर्गत गोडिया सहजात कलांकियों जिलों इंदौर में कालांकी विकसित करने की अनुमति दी गई।

श्री / श्रीमती मेखसर्स खजांची डेव्हलपर्स तंफै श्री मनीष पिता कल्याणमतजी रखाचा नं।
लिंगारो - 48 मुराई मोहल्ला इंदौर

महामुद्रण भू-राजस्व सहिता 1939 (२० अगस्त १९३९) की दिनें
दृष्टव्य लागू होतीं का अधारशासन करना होगा।

महाराष्ट्रदेश नगर कथा ग्रन्थ सिंधेश अधिनियम 19

3- विकास/सिर्जना में आधिक रूप से कमज़ोर वर्गों/निम्न आय समूहों के हिते आरक्षीत वृद्धि

पहली प्राथमिकता दी जाएगी। इसी समय नियन्त्रण अधिनियम 1976 के उत्पर्वकों के अधीन राष्ट्रीय प्रांतों का

नगर भूमि सीमा तथा नियन्त्रण उद्देश्य परं । १९८० के अनुदेश्य परं
के अनुसारित प्रभाग प्रत्र में वर्णित शर्तों का पालन करना होगा।

रमीमा से अनापत्ति प्रवाण पत्र में वार्ता दिल्ली के निवेश विभाग के श्वेत मानचिन्म स्वीकृति पत्र कागाक 4576 दिनांक 07.03.19

पूर्ण कर शर्तों का पालन अनिवार्य रूप से किया जानेवाला है।

उल्लेखित अनुभविता की अवधियों के मध्य समिक्षा का अतिविशेष उपकरण बनता है।

6- आक्रोहित मूर्मि के असमाप्त की शब्दानुयाय का अन्य मूर्मि पर अतिक्रम भवति किए जाते हैं।

6. $\sin \theta = \frac{3}{5}$, θ is an acute angle. Find $\cos \theta$.

1. कालोनी का विकास कार्य 3 वर्ष की अवधि में पूर्ण कराता अनिवार्य होगा ।
- 2- कालोनी विकास पेटे धसेहर के रूप में बंधक पंजीकरण क्रमांक MP179132020A1123616 दिनांक 18/02/2020 भूखंड क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, भूखंड 35 वर्गमीटर भूमि बंधक रखे गये हैं । उक्त भूखंडों को इस कार्यालय की सक्षम अनुमति के द्वारा 4289 98 वर्गमीटर भूमि बंधक रखे गये हैं । उक्त भूखंडों को इस कार्यालय की सक्षम अनुमति के द्वारा विक्रय नहीं किया जावेगा ।
- 3- अनुमति जारी दिनांक के समय यदि केंद्र एवं राज्य शासन के किसी न्यायालय द्वारा लाइल/प्रबलित होने की दशा में यह अनुमति स्वतं निरस्त मानी जावेगी ।
- 4- राज्य शासन द्वारा अधिरोपित नियमों के अधीन एवं समय समय पर राज्य शासन द्वारा निर्देशों एवं नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा । यदि विकासकर्ता भूमि रखाई/भागीदार या हितशाही मान्य अनुमति के विपरीत विकास कार्य करते हैं या उनके द्वारा प्रदत्त दस्तावेजों की अनियमितता पाई जाती है तो उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी द्वारा की सकेगी ।
- कलेक्टर द्वारा अनुमोदित

अधिकारी कलेक्टर
जिला इंदौर

इंदौर, दिनांक ३५/३/२०

पृ० क्रमांक / १४/अ०क०री० / २०२०

प्रतिलिपि:-

- 1- कलेक्टर, जिला इंदौर की ओर सूचनार्थ ।
- 2- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पचायत जिला इंदौर ।
- 3- अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग कनाडिया की ओर प्रेषित कर लेख है कि प्रदत्त अनुमति गई शर्तों के पालन के सम्बंध में रथल निरीक्षण करे एवं विकासकर्ता से पालन करावाना रखें ।
- 4- वसिष्ठ पंजीयक जिला इंदौर की ओर सूचनार्थ ।
- उप पंजीयक इंदौर- 2 की ओर सूचनार्थ एवं आवध्यक कार्यवाही हेतु । भूखंड क्रमांक 1, 2, 5, 6, 7, 8, 15, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, भूखंड 35 क्षेत्रफल 4289 98 वर्गमीटर वर्गमीटर भूखंड की खरीदी, बिकी व रजिस्ट्री आगामी दिनांक 18/02/2020 बंधक रखे गये हैं । जिसकी बंधक वित्तरेख दिनांक 18/02/2020 बंधक रखे गये हैं । अतः बंधकनामा अनुसार 35 भूखंड की खरीदी, बिकी व रजिस्ट्री आगामी दिनांक 18/02/2020 तक बिना सक्षम अनुमति के नहीं की जावे ।
- 5- मेसर्स खजांची डेक्लपर्स तरफ श्री मनीष पिता, कल्याणमलजी खजांची निवारी 48 मोहल्ला इंदौर की ओर पालनार्थ ।

अधिकारी कलेक्टर
जिला इंदौर



Real Estate | भू-सम्पदा
Regulatory Authority | विनियामक प्राधिकरण
Madhya Pradesh | मध्य प्रदेश
रेरा भवन, अरेसा हिल्स, मैन रोड नं. 1, भोपाल-462011
प्ररूप "ग"
(नियम 6 (1) देखिए)

परियोजना का पंजीयन प्रमाण-पत्र

यह पंजीयन अधिनियम की धारा 5 के अधीन निम्नलिखित परियोजना को परियोजना पंजीयन क्रमांक **P-JND-21-3091** के अधीन मंजूर किया जाता है:-

परियोजना- समृद्धि ग्रीन हिंगोनिया, इंदौर

(परियोजना पते को सम्मिलित करते हुए परियोजना के ब्यौरे विनिर्दिष्ट कीजिए):

(व्यक्तिगत की दशा में) श्री/श्रीमती

पुत्र श्री/श्रीमती

तहसील

जिला

राज्य

या

(फर्म/सोसाइटी/कंपनी/सक्षम प्राधिकारी की दशा में)

फर्म/सोसाइटी/कंपनी सक्षम प्राधिकारी

कार्यालय/कारोबार क्र. प्रमुख स्थान होगा।

खजांची डेव्हलपर्स, इंदौर में इसका पंजीकृत

2. यह पंजीयन निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन मंजूर किया जाता है, अर्थात् -

(एक) सम्पर्वतक "उपबंध-क" में यथा उपबंधित के साथ विक्रय हेतु करार करेगा।

(दो) सम्पर्वतक धारा 17 के अनुसार कॉमन क्लेट्र या अपार्टमेंट के, जैसी भी स्थिति हो, आबंटिती के संघ या आबंटिती के पक्ष में हस्तांतरण विलेख को निष्पादित या पंजीकृत करेगा।

(तीन) सम्पर्वतक धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (1) के उपखण्ड (घ) के अनुसार निर्माण लागत तथा इस प्रयोजन के लिए उपयोग की जानेवाली भूमि की लागत को पूरा करने के लिए सम्पर्वतक द्वारा वसूली गई रकम का सज्जर प्रतिशत अनुसूचित बैंक में बनाए रखने के लिए अलग खाते में जमा करेगा।

(चार) पंजीयन **29-12-2021** से शुरू करते हुए के साथ समाप्त करते हुए **03 (तीन)** वर्ष की कालावधि के लिए वैध होगा, यदि अधिनियम की धारा 7 के साथ घटित धारा 8 के अनुसार रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण द्वारा नवीकृत नहीं कराया जाता है।

(पांच) सम्पर्वतक इसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों को अधिनियम के उपबंधों के साथ लागू करेगा।

(छ) सम्पर्वतक क्लेट्र में लागू जहां परियोजना का विकास किया जा रहा है तत्समय किसी अन्य कानून के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करेगा।

3. यदि उक्त उल्लिखित शर्तें सम्पर्वतक द्वारा पूरी नहीं की जाती हैं, तो विनियामक प्राधिकारी अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के अनुसार इसमें पंजीयन मंजूरी को प्रतिसंहत करते हुए सम्पर्वतक के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई कर सकेगा।

4. उक्त परियोजना प्रकरण प्राधिकरण के आदेश में ऊँकितशातों के उद्यग्याधीन।

दिनांक : **29-12-2021**

स्थान : **भोपाल**

प्राधिकरण प्राधिकरण के स्तर पर एवं पदमुद्रा
रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण

कार्यालय कलेक्टर, मुम्बई इन्दौर (म.प्र.)

(नियम 3(4) देखिए)
रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

दिनांक— 15.11.2019

रजिस्ट्रीकरण क्रमांक— 77/2019
प्रकरण क्रमांक— 136/वी-121/2019-20

प्रमाणित किया जाता है कि फर्म जिसके बौरे नीचे दिए गए हैं मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) और मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम 2014 के उपबंधों के अधीन कालोनाइजर के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, अर्थात्—

श्री/ श्रीमती/ मेसर्स

— मे. खजान्ची डेवलपर्स तर्फे पाटनर

पिता का नाम

श्री मनीष खजान्ची

पता

— श्री कल्याणमल खजान्ची

— 48 मुराई भोहल्ला, छावनी, इन्दौर

रजिस्ट्रीकरण के निर्बन्धन तथा शर्ते निम्नानुसार होगी—

- 1— यह रजिस्ट्रीकरण ग्राम पंचायत—हिंगोनिया, तहसील—कनाडिया जिला इन्दौर तक सीमित है। प्रत्येक कॉलोनी स्थापना के पूर्व सूचना कालोनाइजर को देना होगी।
- 2— प्रत्येक कॉलोनी के लिए विकास अनुमति/विकास कार्यों को प्रारंभ करने की अनुमति अलग से प्राप्त करना होगी।
- 3— प्रत्येक कॉलोनी के लिए विकास अनुमति/विकास कार्यों को प्रारंभ करने की अनुमति अलग से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 4— माँके पर विकास एवं निर्माण करने के पूर्व इस कार्यालय से डायवर्सन आदेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 5— माँके पर निर्माण एवं विकास करने के पूर्व इस कार्यालय से विकास अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 6— इस रजिस्ट्रीकरण की वैधता प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से 5 वर्षों की अवधि तक मान्य होगी।
- 7— नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से अभिन्नास स्वीकृत कराना होगा तथा अभिन्नास में अभिलिखित शर्तों का अक्षर: पालन करना होगा।
- 8— विकास कार्य पूर्ण करने पर इस कार्यालय को सूचित करना अनिवार्य होगा।
- 9— उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की दशा में यह लायसेंस स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

मुद्रा

टिप्पणी—

कालोनी का विकास, उसका विकास कार्य, भूखण्डों/भवनों का विक्रय सिर्फ तभी विधिमान्य होगा, यदि कालोनी विकसित करने की अनुज्ञा नियमों में विहित किए गए अनुसार प्राप्त की गई है।

इन्दौर दिनांक : 15.11.2019

R.S.
(लोकेश कुमार जाटव)
कलेक्टर,
ज़िला इन्दौर

राजस्थानीय राज्यविभागीय अधिकारी का उत्तर कनाडिया ज़िला-इंदौर

क्रमांक/ 523 / री.एस.डी.ओ./ 19
पाते,

प्रेसारोत् पाते अग्रिम्य
प्रिया-पता राजस्थान कनाडिया रोड, इंदौर



इंदौर दिनांक :- 29/6/19

चित्र :-

मामा हिंगोगिया रेत भूमि सर्वे नम्बर 310/1, 310/2, 310/3, 310/1/1, 310/1/2, 311/1/1, 311/1/1/2, 311/1/2, 311/2/1, 311/2/2, 311/2/3, 311/2/4, 311/3, 311/4/1, 311/4/2, 312 पैकी
313/3/4 पैकी 310, 310 रामा 3.609 हेक्टेयर भूमि पर नजूल अनापत्ति के संबंध में तहसीलदार
फलाशिया ज़िला- ईंधौर रो प्रतिवेदन आहुता दिया गया। जिस पर तहसीलदार कनाडिया ज़िला-
ईंधौर द्वारा प्रतिवेदित दिया गया था :-

तहसीलदार के प्रतिवेदन अनुसार :-

- प्रश्नाधीन भूमि गैं घोर्झ शारातीय रालाव आदि. की भूमि समाविष्ट नहीं है।
- प्रश्नाधीन भूमि थे भूमि का भूमि खायाए खत्व संवधि कोई विवाद नहीं है। इस आशय का शपथपत्र आवेदिया द्वारा प्रस्तुत प्रिया गया है।
- प्रश्नाधीन भूमि का प्रार्थी द्वारा गौके निरीकण कराया गौके पर कृषि कार्य किया जा रहा है।
- प्रश्नाधीन भूमि का गौके पर पटवारी नवरो से गिलान होता है।
- प्रश्नाधीन भूमि वर्ष 1925-26 में नियी खत्व दर्ज है।
- प्रश्नाधीन भूमि पर वृक्ष आदि नहीं है।
- प्रश्नाधीन भूमि ग्राम हिंगोनिया रिथत भूमि सर्वे नम्बर 310/1, 310/2, 310/3, 310/4/1, 310/4/2, 311/1/1, 311/1/1/2, 311/1/2, 311/2/1, 311/2/2, 311/2/3, 311/2/4, 311/3, 311/4/1, 311/4/2, 312 पैकी 313/3/4 पैकी 318, 319 रकवा 3.589 हेक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेख में नेहासिंह पति अभिमन्यू निवासी- गढा हाउस कनाडिया रोड, इंदौर के नाम दर्ज है।
- प्रश्नाधीन भूमि सीलिंग की कब्जा प्राप्त भूमि में शामिल नहीं है।
- प्रश्नाधीन भूमि अवैध कालोनी का भाग नहीं है।

उत्तर भूमि के संबंध में नियमानुसार शर्तों का पालन अनिवार्य होगा :-

- प्रश्नाधीन भूमि के आस पास नजूल शासकीय भूमि रिथत हो तो उस पर किसी प्रकार का कब्जा/निर्माण नहीं किया जायेगा।
- भवन निर्माण के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश, नगर निगम इंदौर, लोक निर्माण विभाग, म.प्र. विद्युत मण्डल वितरण कंपनी एवं अन्य सभी विवारों से आवश्यक विधि अनुगतियों प्राप्त करना होगा।
- नजूल शासकीय भूमि यदि पट्टे पर दी गई है तो पट्टे की शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा।
- स्वामित्व, सीमा, मार्ग के विवाद की रिथति होने पर अनुमति खोगेय निररत मानी जावेगी।
- यह प्रतिवेदन केवल शासकीय भूमि (नजूल भूमि) से संबंधित है। उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन की दशा में अथवा खामित्व के संबंध में न्यायालयीन वाद उत्पन्न होने पर चंच/चर्चा विवाद की रिथत एवं शासकीय भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने की रिथति में असत्य जानकारी या अस्वच्छ हमें चे प्रस्तुत आवेदन पर यह अनापत्ति खोगेय निररत मानी जावेगी तथा इसकी जवाबदारी स्वयं आवेदक की है।

Geash

अमृतलिला प्रिया जिला-इंदौर
इंदौर-प्रिया जिला-इंदौर
इंदौर-प्रिया जिला-इंदौर

29/6/19

क्रमांक/ 521 / री.एस.डी.ओ./ 19

दस्तावेज कलेक्टर (लोक सेवा प्रबन्धक) ज़िला इंदौर को ओर उनके दोकन के सदर्ग में सूचनार्थी।

प्रिया-पता 07/05/2019)

Geash

अमृतलिला प्रिया जिला-इंदौर
इंदौर-प्रिया जिला-इंदौर